न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– /

प्रार्थीः–

भैराराम पुत्र श्री लाला जाति कुम्हार, निवासी खिन्दाकौर, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. पदमी पत्नी श्री जेठाराम
2. मनुदेवी पत्नी श्री गुलाराम
3. चौखाराम पुत्र श्री नेमाराम
4. जगदीश पुत्र श्री टीकूराम

जातियान कुम्हार, निवासीगण खिन्दाकौर, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

प्रार्थी – अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

अप्रार्थीगण की तरफ से उपस्थित कोई नहीं।

निर्णय

दिनांकः– 19/2/19

इस प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पूर्व में दिनांक 26.08.2013 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसका वि[illegible] 2013 को अपील अपीलान्ट आंशिक तौर पर स्वीकार कर [illegible] न्यायालय [illegible] आदेश दिनांक 26 अगस्त 2013 को अपास्त किया एवं प्रकरण इस [illegible] के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि सभी पक्षकारान को पुन[illegible] साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें एवं नियमानुसार पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

का न्यायोचित निस्तारण किया जावें। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2014 को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 06.07.2015 को खारिज करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 21.10.2014 को यथावत रखा।

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा एक निगरानी न्यायालय श्री राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, शिविर जोधपुर में प्रस्तुत की जो दिनांक 20.01.2017 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2015 एवं सहायक कलक्टर ओसियां के आदेश दिनांक 21.10.2014 को निरस्त कर प्रकरण सहायक कलक्टर, ओसियां प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई अवसर का प्रदान करे। इस बिन्दू पर परीक्षण करे कि धारा 48 के प्रावधानों के तहत आपसी सहमति से जमीन के बदले जमीन देय हो सकती है या नहीं और क्या किसी पक्ष द्वारा भूमि को सरेन्डर किया गया है। तदोपरान्त धारा 251–क के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार स्तर से उभय पक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर प्राप्त करें और नियमानुसार निर्णय पारित करें। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 14.02.2017 को सहायक कलक्टर ओसियां के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे।

उक्त निर्देश के साथ पत्रावली माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर इस न्यायालय में पेश हुई। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार बावड़ी से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। अप्रार्थीगण को जबाब हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण ने जबाब एवं साक्ष्य पेश नहीं किये न ही अप्रार्थीगण व उनके [illegible] हुए। अप्रार्थीगण लगातार उपस्थित नहीं होने [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये तथा पत्रावली [illegible] दिनांक 19.02.2019 को प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम खिन्दाकौर तहसील ओसियां में स्थित खसरा नम्बर 77 रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई हैं। उपरोक्त खसरा की भूमि के दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 77/8 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 77/15 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 77/9 रकबा 09 बीघा एवं खसरा नम्बर 77/17 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई हैं। उक्त भूमि के आगे दक्षिण में डामर सड़क आयी हुई हैं जो ग्राम थोब से खिन्दाकौर जाती हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु डामर सड़क से अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चलता हैं। जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया हैं। इसके अलावा दुसरा कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता देने एवं रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने मना कर दिया। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि एवं रहवासीय ढाणी में आने जाने की भयंकर समस्या हैं। प्रार्थी ने पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03.09.2013 को रास्ते बाबत् डी.एल.सी. की दोगुनी दर 28103 रूपये तहसील बावड़ी में जमा करवा दिये तथा उसके बाद दिनांक 21.10.2014 के आदेशानुसार पुनः डी.एल.सी. की दोगुनी दर से शेष भी जमा करवा दी। पूर्व में प्रस्तुत भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट व वर्तमान में तहसीलदार बावड़ी की मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी को अपने खेत से सड़क तक आने–जाने हेतु उक्त रास्ता लघुतम एवं निकटतम हैं। जो रास्ता पूर्व में न्यायालय के निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो रखा है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 77/8 में से 77/19 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 77/9 [illegible] 77/21 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 77/15 में से 77/20 एवं खसरा नम्बर 77/[illegible] में से 77/22 रकबा 3 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। मौके पर [illegible] की भूमि में से बिन्दू संख्या ए से सी तक खसरा नम्बर 77/20, 77/21, 77/22 पर ग्रेवल सड़क बन चुकी है एवं मौके पर रास्ता चल रहा है खसरा नम्बर 77 में जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के लिए इससे नजदीक अन्य कोई रास्ता नहीं है। पत्रावली के अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट स्वीकार करना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ग्राम खिन्दाकौर के अपनी खातेदारी भूमि एवं रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार प्रतिकर की पूर्ण राशि जमा करवा दी है तथा राज्य सरकार के नाम खसरा नम्बर 77/19, 77/20, 77/21, 77/22 की भूमि दर्ज हो चुकी है। जहां से प्रार्थी को रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार ओसियां को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

आज दिनांक 19/2/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner